राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सियल ऐरिया, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर–16)

क्रमांक : मॉ.प्रकोष्ठ/डीएलबी/डेयरी बूथ/2017/11298-11489 जयपुर, दिनांकः 02/6/2017

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :–नगरीय निकाय क्षैत्रों में नवीन डेयरी बूथ खोले जाने बाबत्।
प्रसंग :–प्रबन्ध संचालक, राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 01.05.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 3964/2014 के निर्णय दिनांक 12.05.2016 एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिये आयोजित कार्यशाला दिनांक 02.05.2017 में प्रबन्ध संचालक, राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 5000 नवीन डेयरी बूथ निकाय क्षेत्रों में खोलने के लिये दिये गये निर्देशों की अनुपालना में नगरीय निकाय क्षैत्रों में लगे हुये डेयरी बूथो के अतिरिक्त 5000 नये डेयरी बूथ खोले जाने हैं। राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 06.07.2016 व राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन से संबद्ध दुग्ध संघो के सरस दूध एवं दुग्ध पदार्थों की खुदरा विक्रेताओ के लिये नीति वर्ष 2016–17 की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त में निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविरों में नवीन डेयरी बूथ खोलने के लिये आवेदन आमंत्रित कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये 7 दिवस में प्रगति की सूचना प्रस्तुत करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ.प्रकोष्ठ/डीएलबी/डेयरी बूथ/2017/11490-11498 जयपुर, दिनांकः 02/6/2017
प्रतिलिपी :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर
3. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करवाकर रिपोर्ट 7 दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड

Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited

No. RCDF/GM(M)/F.6(271)/2017/ 3059 Dated : 01.06.2017

Additional Director,
Local Self Bodies,
Govt.of Rajasthan,
Secretariat,
JAIPUR.

Dear Sir,

Please refer RCDF letter no. 3667-71 dated 01.05.2017 addressed to Principal Secretary, Local Self Bodies, GoR, vide which the approval and recommendation of committee constituted by Hon'ble High Court in judgement dated 12.05.2017 in S.B. Civil Writ Petition No. 3964/2014 for allotment of dairy booth in the area of Nagar Palika/Parishad/Nigam were conveyed, you are requested to take necessary action by issuing necessary orders/ notification to all local bodies about new policy for allotment of space for dairy booths. Further, as per directions of Hon'ble Chief Minister, GoR for women empowerment, please direct all local bodies that allotment of dairy booths is to be made only to Women.

With regards,

Yours faithfully,

Encl. : *As above.*

General Manager (Mktg)

"सरस संकुल" जे.एल. एन मार्ग, जयपुर-302 017 ❑ "Saras Sankul", J.L.N. Marg, Jaipur-302 017
दूरभाष : 2702501-508 ❑ फैक्स : 0141-2702537 ❑ तार : डेरीफैड
2702501-508 ❑ Fax : 0141-2702537 Gram : Dairyfed ❑ E-mail : rcdfho_jp1@sancharnet.in
❑ Email : rcdf@rajasthan.gov.in ❑ Web site : www. sarasmilkfed-rajasthan.gov. in

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड

RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LIMITED

No. RCDF/GM(M)/F.6(271)/2017/3667 -71 Dated : 01.05.2017

Principal Secretary,
Local Self Bodies,
Govt.of Rajasthan,
Secretariat,
JAIPUR.

Dear Sir,

Please refer our earlier letter no. 53580-84 dated 01.03.2017 vide which we have informed you that Hon'ble High Court has approved the recommendation of committee constituted by Hon'ble Court in judgement dated 12.05.2016 in S.B. Civil Writ Petition No. 3964/2014, a photocopy of minutes of meeting issued vide letter no. 14510-14 dated 06.07.2016 and judgement dated 23.01.2017 were also enclosed for your reference and necessary action. It is therefore requested to issue necessary orders / notification to implement the recommendations of committee in all Local Bodies of Rajasthan State for allotment of Dairy Milk Booth.

With regards,

Yours faithfully,

(K.L. Meena)
Managing Director

Encl. : *As above.*

Copy to:-

1. Secretary to Government, Deptt. of Gopalan, GoR, Secretariat, Jaipur.
2. Director & Special Secretary, Local Self Bodies, GoR, Secretariat, Jaipur.
3. Additional Commissioner, Nagar Nigam, Jaipur.
4. Managing Director, Milk Union, Jaipur.

General Manager (Mktg)

m/f

"SARAS SANKUL", J.L.N. MARG, JAIPUR - 302 017.
Phone No.2702501-08, Telefax-2702208 : Website : www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in : E-mail: managermarketingrcdf@gmail.com

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited

No. RCDF/GM(M)/F.6(271)/2017/ 53580-84 Dated : 01/03/2017

Principal Secretary,
Local Self Bodies,
Govt.of Rajasthan,
Secretariat,
JAIPUR.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith photocopy of certified copy of judgement dated 23.01.2017 passed by by Hon'ble High Court in the S.B. Civil Writ Petition No. 3964/2014 (Jaipur Dairy Saras Dugdha Vikreta Sangh (All Rajasthan & others Versus Jaipur Muncipal Corporation & others) and S.B. Civil Writ Petition No. 837/2015 (Ashfaq Ahamad Kureshi Versus State of Rajasthan & others). Hon'ble High Court has approved the recommendations of Committee constituted by Hon'ble Court in judgment dated 12.05.16 in S.B. Civil Writ Petition No. 3964/2014. A photocopy of minutes of meeting issued vide letter No. 14510-14 dated 06.07.2016 and judgement dated 23.01.2017 are being enclosed for ready reference and further necessary action at your end.

With regards,

Yours faithfully,

Encl. : *As above.*

(K.L. Meena)
Managing Director

Copy to:-
1. Secretary to Government, Deptt. of Gopalan, GoR, Secretariat, Jaipur.
2. Director & Special Secretary, Local Self Bodies, GoR, Secretariat, Jaipur.
3. Additional Commissioner, Nagar Nigam, Jaipur.
4. Managing Director, Milk Union, Jaipur.

Managing Director

''सरस संकुल'' जे.एल. एन मार्ग, जयपुर-302 017 ❑ "Saras Sankul", J.L.N. Marg, Jaipur-302 017
दूरभाष : 2702501-508 ❑ फैक्स : 0141-2702537 ❑ तार : डेरीफेड
2702501-508 ❑ Fax : 0141-2702537 Gram : Dairyfed ❑ E-mail : rcdfho_jp1@sanchamet.in
❑ Email : redf@rajasthan.gov.in ❑ Web site : www. sarasmilkfed-rajasthan.gov. in

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Writ Petition No. 3964 / 2014

1. Jaipur Dairy Saras Dugdha Vikreta Sangh (All Rajasthan) through President Sundar Chand Ramola, 672, Kailash Path, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur.

2. Sundar Chand Ramola S/o. Shri Rai Chand Rmola, aged about 50 years, 672, Kailash Path, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur.

3. Rajpal Yadav S/o. Khem Chand, aged about 58 years, R/o. 370, Vivek Vihar, Jaipur.

...Petitioners

Versus

1. Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Jaipur through Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur.

2. Jaipur Zila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limtied, Jaipur through Managing Director, Near Gandhi Nagar, Railway Phatak, Jaipur.

...Respondents

(2) S.B.Civil Writ Petition No. 837 / 2015

Ashfaq Ahamad Kureshi S/o Shri Irfan Kureshi Age about 38 years R/o of 1197 Gali Mardan Khan Moti Dungari Road Jaipur Raj.

...Petitioner

Versus

1- State of Rajasthan through Principal Secretary Dairy & Pasu Palan Department secret irate Jaipur Rajasthan

2- Jaipur Development Authority Jaipur Through Commissioner of Jaipur Development Authority Jaipur Rajasthan

3- Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Jaipur through Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur.

4- Jaipur Zila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limtied, Jaipur through Managing Director, Near Gandhi Nagar, Railway Phatak, Jaipur.

...Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajeev Surana and Mr. RB Sharma

For Respondent(s) : Mr. KS Rawat for Mrs. Naina Saraf
Mr. Achintya Kaushik

HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Judgment

जयपुर

23/01/2017

Learned counsel for the parties submit that controversy raised in the writ petitions stands resolved with the recommendation of a Committee constituted by the court and approval of the recommendation thereafter. It is in regard to the Dairy Booths on the land belonging to Municipal Corporation, Jaipur.

In view of above, the parties would be governed by the recommendation of the Committee dated 6.7.2016 and approved

on 5.7.2016. The dispute about arrears of rent however remains.

My attention has been drawn towards Annexure-6 where the Jaipur Milk Union decided to deduct 5 paise per litre after increased of commission by 10 paise, payable to the petitioners. The amount aforesaid was to be used for payment of rent of booths, its maintenance, paint etc. It is submitted that despite acceptance to pay the rent to the Municipal Corporation out of the aforesaid fund, the petitioners have been asked to pay the arrears of rent. An order at Annexure-2/7 has been submitted along with reply where rent prior to April, 2010 is ordered to be paid by the Dairy Union. The decision for it was taken subsequently. The amount so deducted by the Jaipur Milk Union should be accounted towards rent payable by the individual, till it is exhausted.

Learned counsel for the respondents initially made a contest because the Jaipur Milk Union has already taken a decision to account for the aforesaid fund towards rent till April, 2010. The subsequent rent has to be paid by the petitioners individually.

जयपुर

I have considered the only issue pertaining to payment of rent to M.C. Jaipur. It has been admitted that the commission was increased by 10 paise per litre and out of which 5 paise was withheld towards payment of rent, repair and paint of diary booths.

In view of above, Jaipur Milk Union should pay the rent to Municipal Corporation till they are withholding 5 paise per litre out of the commission. It should be till the fund or amount so collected, is exhausted. It cannot be that respondent may deduct

5 paise payable to the petitioners and, at the same time, should not account it towards the rent payable by them to the Jaipur Municipal Corporation. The deducted amount is also meant for repair as well as paint of the booths thus it is not only the rent but the aforesaid amount is also to be accounted towards the maintenance of the Booths. The rent can be charged after the entire amount get exhausted in the individual case and, to clarify further, the amount of commission of 5 paise deducted towards payment of rent, repairing or paint of booth has to be first accounted and only deficit would be charged. The clarification aforesaid has been made to avoid further litigation of this nature. The parties would exchange the accounts for the aforesaid and if any payment has been made by the petitioners in excess to rent, repairing and paint then nothing would be charged from them rather it would be returned or be accounted in future, however, if there is deficit, then to that extent, amount would be charged.

जयपुर

The rest of the issues would be governed by the resolution of the Committee, so approved and referred above.

With the aforesaid, writ petitions are disposed of.

A copy of this order be placed in connected file.

(M.N. BHANDARI)J.

Sunita/15-16

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
Certified Copy of Order Dated 28/1/17

8-1-15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

BENCH AT JAIPUR.

S.B.Civil Writ Petition No. 837 /2015

Ashfaq Ahamad Kureshi S/o Shri irfan Kureshi Age about 38 years R/o of 1197 Gali Mardan Khan Moti Dungari Road Jaipur Raj

Petitioner

Versus

1- State of Rajasthan through Principal Secretary Dairy & Pasu Palan Department Secret irate Jaipur Rajasthan

2- Jaipur development Authority Jaipur Through, commissioner of Jaipur Development Authority Jaipur Rajasthan

3- Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Jaipur through Chief Executive Officer, Jaipur Muncipal Corporation, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur.

4- Jaipur Zila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limited, Jaipur through Managing Director, Near Gandhi Nagar, Railway Phatak, Jaipur.

Respondents

S.B.Civil Writ Petition under Articles 226 of the Constitution of India;

And

In the matter of Articles 14 & 21 of the Constitution of India, 1950;

And

Oath Commissioner
Raj. High Court Jaipur

सही प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ
जयपुर

In the matter of threatening given by the respondents with regard to stoppage of supply of milk and removal of Dairy Booths for non payment of rent already charged in advance by deducting the rent from commission;

And

In the matter of letter dated 27.6.2008 whereby a special fund was created and commission to Booths under petitioner was paid 5 paisa less which was to be deposited in a fund to be paid by the respondent No.2 to the respondent No.1.

(8)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Writ Petition No. 3964 / 2014

1. Jaipur Dairy Saras Dugdha Vikreta Sangh (All Rajasthan) through President Sundar Chand Ramola, 672, Kailash Path, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur.

2. Sundar Chand Ramola S/o. Shri Rai Chand Rmola, aged about 50 years, 672, Kailash Path, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur.

3. Rajpal Yadav S/o. Khem Chand, aged about 58 years, R/o. 370, Vivek Vihar, Jaipur.

...Petitioners

Versus

1. Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Jaipur through Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur.

2. Jaipur Zila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limtied, Jaipur through Managing Director, Near Gandhi Nagar, Railway Phatak, Jaipur.

...Respondents

(2) S.B.Civil Writ Petition No. 837 / 2015

Ashfaq Ahamad Kureshi S/o Shri Irfan Kureshi Age about 38 years R/o of 1197 Gali Mardan Khan Moti Dungari Road Jaipur Raj.

...Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan through Principal Secretary Dairy & Pasu Palan Department secret irate Jaipur Rajasthan

(11)

2- Jaipur Development Authority Jaipur Through Commissioner of Jaipur Development Authority Jaipur Rajasthan

3- Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Jaipur through Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur.

4- Jaipur Zila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limtied, Jaipur through Managing Director, Near Gandhi Nagar, Railway Phatak, Jaipur.

...Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajeev Surana and Mr. RB Sharma

For Respondent(s) : Mr. KS Rawat for Mrs. Naina Saraf
Mr. Achintya Kaushik

HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Judgment

23/01/2017

Learned counsel for the parties submit that controversy raised in the writ petitions stands resolved with the recommendation of a Committee constituted by the court and approval of the recommendation thereafter. It is in regard to the Dairy Booths on the land belonging to Municipal Corporation, Jaipur.

In view of above, the parties would be governed by the recommendation of the Committee dated 6.7.2016 and approved

on 5.7.2016. The dispute about arrears of rent however remains.

My attention has been drawn towards Annexure-6 where the Jaipur Milk Union decided to deduct 5 paise per litre after increased of commission by 10 paise, payable to the petitioners. The amount aforesaid was to be used for payment of rent of booths, its maintenance, paint etc. It is submitted that despite acceptance to pay the rent to the Municipal Corporation out of the aforesaid fund, the petitioners have been asked to pay the arrears of rent. An order at Annexure-2/7 has been submitted along with reply where rent prior to April, 2010 is ordered to be paid by the Dairy Union. The decision for it was taken subsequently. The amount so deducted by the Jaipur Milk Union should be accounted towards rent payable by the individual, till it is exhausted.

Learned counsel for the respondents initially made a contest because the Jaipur Milk Union has already taken a decision to account for the aforesaid fund towards rent till April, 2010. The subsequent rent has to be paid by the petitioners individually.

I have considered the only issue pertaining to payment of rent to M.C. Jaipur. It has been admitted that the commission was increased by 10 paise per litre and out of which 5 paise was withheld towards payment of rent, repair and paint of diary booths.

In view of above, Jaipur Milk Union should pay the rent to Municipal Corporation till they are withholding 5 paise per litre out of the commission. It should be till the fund or amount so collected, is exhausted. It cannot be that respondent may deduct

5 paise payable to the petitioners and, at the same time, should not account it towards the rent payable by them to the Jaipur Municipal Corporation. The deducted amount is also meant for repair as well as paint of the booths thus it is not only the rent but the aforesaid amount is also to be accounted towards the maintenance of the Booths. The rent can be charged after the entire amount get exhausted in the individual case and, to clarify further, the amount of commission of 5 paise deducted towards payment of rent, repairing or paint of booth has to be first accounted and only deficit would be charged. The clarification aforesaid has been made to avoid further litigation of this nature. The parties would exchange the accounts for the aforesaid and if any payment has been made by the petitioners in excess to rent, repairing and paint then nothing would be charged from them rather it would be returned or be accounted in future, however, if there is deficit, then to that extent, amount would be charged.

The rest of the issues would be governed by the resolution of the Committee, so approved and referred above.

With the aforesaid, writ petitions are disposed of.

A copy of this order be placed in connected file.

(M.N. BHANDARI)J.

Sunita/15-16

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ की मोहर * जयपुर *

सही-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

आरसीडीएफ / एफ.6(271) / विपणन / 2016–17 / 14510-14 दिनांकः 06.07.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 3964 / 14 जयपुर डेयरी सरस दुग्ध विकेता संघ व अन्य बनाम नगर निगम, जयपुर व अन्य में निर्णय दिनांक 12.05.16 की पालना में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.16 को प्रातः 11.00 बजे बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ--एक पर हैं।

बैठक में सर्वप्रथम श्री सुन्दरचन्द रमोला पुत्र श्री रायचन्द रमोला, जयपुर डेयरी दुग्ध विकेता संघ को सुनवाई का अवसर देते हुये व्यक्तिगत सुनवाई की गई श्री रमोला व्यक्तिगत रूप से कमेटी के समक्ष उपस्थित हुये व उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

बैठक में विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये :–

क्रं.सं.	विषय एवं निर्णय
1.	समयबद्ध रूप से बूथों का किराया / लीज राशि में वृद्धि व बूथ मालिको के कमीशन की राशि व उनके रख रखाव, डेयरी बूथो की बेदखली से सम्बन्धित विवादों के सम्बन्ध में एक योजनाबद्ध प्रकिया निर्धारित करते हुये एक प्रस्तावित नीति का निर्धारण किया गया। जिसकी प्रति परिशिष्ठ–दो पर संलग्न हैं।
2.	बूथ किराया / लीज मनी की निम्नानुसार प्रस्तावना की गई :– स्थानीय निकाय — किराया प्रतिमाह 1. नगर निगम — 1000 / – 2. नगर परिषद — 750 / – 3. नगर पालिका — 500 / – प्रत्येक तीन वर्ष में बूथ किराया में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित हैं। जबतक यह निति अनुमोदित नहीं होती हैं वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।

लगातार – 2

3.	बूथ किराया/लीज मनी का संग्रहण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा। परन्तु जबतक यह नीति अनुमोदित नहीं होती हैं तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।
4.	जयपुर दुग्ध संघ व नगर निगम जयपुर के मध्य जो बूथ किराये को लेकर भिन्नता है इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि बूथ की संख्या के आधार पर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा 500/– रू. प्रतिबूथ प्रतिमाह के हिसाब से वर्ष 2015–16 तक का किराया नगर निगम में जमा करवा दिया गया है। जयपुर दुग्ध संघ एवं जयपुर नगर निगम इस सन्दर्भ में दोनो विभाग बैठक कर रिकार्ड रिकन्साईल कर सक्षम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

6/7/16.

(कुंजी लाल मीणा)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर– माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सी.डब्लयू.पी. 3964/2014 के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2016 की अनुपालना मे संलग्न नीति को नोटीफाई करवाने का श्रम करावें।
4. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, जयपुर दुग्ध संघ, जयपुर।

6/7/16.

प्रबन्ध संचालक

"SARAS SANKUL", J.L.N. MARG, JAIPUR - 302 017.
Phone No.2702501-08: Telefax-2702208 : Website : www.sarasmilkfed.coop : E-mail: managermarketingrcdf@gmail.com

D:\Booths & Parlours\Covering letter.doc

परिशिष्ठ–1

सरस डेयरी बूथो के निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची :

क्रं.स.	नाम अधिकारी	पद	विभाग
1.	श्री कुंजीलाल मीणा	शासन सचिव एवं प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ.	पशुपालन गोपालन, जयपुर।
2.	श्री पुरूषोत्तम बियानी	निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव	स्वायत शासन, जयपुर
3.	श्री राकेश शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त	नगर निगम, जयपुर।
4.	श्री जे.आर. ढाका	प्रबन्ध संचालक	जयपुर दुग्ध संघ, जयपुर।

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध दुग्ध संघों के सरस दूध एवं दुग्ध पदार्थों की खुदरा विक्रेताओं के लिये नीति वर्ष 2016–17

1. प्रारम्भिक

1. सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार

(1) इस नीति का नाम राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं इससे सम्बद्ध दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की खुदरा विक्रेताओं की नीति वर्ष 2016–17 हैं।

(2) यह नीति राजस्थान के समस्त निकायों के अन्तर्गत क्षेत्रो मे लागू होगी।

2. **उद्देश्य** :– इस नीति का उद्देश्य सहकारिता मूवमेन्ट के अन्तर्गत राजस्थान में उच्च गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य से उपभोक्ताओं को समय पर उपलब्ध करवाना हैं।

3. परिभाषा :– जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नीति में :–

(क) "आर.सी.डी.एफ." से अभिप्राय ऐसी शीर्ष सोसायटी जो राज्य मे समस्त जिला दुग्ध संघों पर एक परिसंघीय निकाय है ओर सहकारी क्षेत्र मे सम्बद्ध दुग्ध संघो के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य क्षेत्रों मे दुग्ध संघो को मार्गदर्शन, सहायता एवं प्रोत्साहित करती है।

(ख) **"दुग्ध संघ"** सहकारी क्षेत्र में पंजीकृत दुग्ध संघ जो दूध एवं दूध पदार्थो को कय एवं विकय का व्यापार करते हो।

(ग) **"उपनियम"** आर.सी.डी.एफ. एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत उपनियम हैं।

(घ) **"प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ."** से अभिप्रेत ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है जो आरसीडीएफ के उप नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(ड़) **"प्रबन्ध संचालक, दुग्ध संघ"** से अभिप्राय है ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है जो दुग्ध संघ के उपनियमों के अनुसार आर.सी.डी.एफ. द्वारा नियुक्त किया गया हो एवं दुग्ध संघ के समस्त कारोबार एवं संचालन के जिम्मेदार हो।

(च) **"स्थानीय निकाय"** स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका से होगा।

(छ) **"राज्य सरकार"** जो राजस्थान राज्य सरकार हैं।

(ज) **"अधिकारी"** आर.सी.डी.एफ. एवं सम्बद्ध दुग्ध संघों में प्रबन्ध संचालक के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी हैं।

(झ) **"डेयरी बूथ"** अधिकृत स्थान पर स्थापित कियोस्क जहां से दुग्ध संघ से उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो का विकय हो।

(ञ) "डेयरी बूथ एजेन्ट" दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो का विकय करने हेतु अधिकृत व्यक्ति।

6/7/16

(ट) "अमानत राशि" जो राशि दुग्ध संघ डेयरी बूथ एजेन्ट से दुग्ध एंवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय मूल्य की राशि के एवज में प्राप्त की जाती हैं।

(ठ) "लाईसेन्सर" निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जो डेयरी बूथ के लिये स्थान आवंटित करेगी।

(ड) "लाईसेन्स फीस" जो राशि निगम/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा डेयरी बूथ एजेन्ट को आवंटित स्थान के एवज में प्राप्त राशि।

(ढ) "शपथ पत्र" जो पत्र डेयरी बूथ एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को बूथ आवंटन के समय प्रस्तुत किया जाता हैं।

(ण) "अन्य क्षेत्र" जो शहरी क्षेत्रों के अलावा बूथ आवंटन का अधिकार सम्बन्धित दूध संघ के आधीन रहेगा।

4. **बूथ आवंटन का स्थान व आवंटन प्रकिया :-**

(i) इस हेतु स्थानीय निकाय व डेयरी 200 मीटर रेडियस/1000 की जनसंख्या की आबादी/250 परिवार का मापदण्ड अपनाकर नये बूथ लगाने हेतु संख्या का आंकलन करेगी।

(ii) बूथ हेतु सम्बन्धित जिले के दुग्ध संघ को प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बूथ हेतु आवेदन करना होगा। बूथ हेतु आवेदन ऑनलाईन भी किया जा सकेगा। निर्धारित प्रपत्र के साथ स्थान का नक्शा संलग्न करना होगा। नगर निगम/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लोगिन व पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा।

(iii) प्रार्थी को ट्रेफिक पुलिस की एन.ओ.सी. भी संलग्न करनी होगी।

(iv) दुग्ध संघ द्वारा मौका निरीक्षण एवं आवश्यक अभिशंषा कर सात दिवस में प्रपत्र को स्थानीय निकाय को भेजा जावेगा।

(v) एक ही स्थान के लिए एक सें अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा लॉटरी के आधार पर बूथ आंवटन किया जावेगा।

(vi) स्थानीय निकाय स्तर पर बूथ आवंटन लाइसेन्स कमेटी द्वारा किया जा सकेगा।

(vi) निकाय द्वारा बूथ आवंटन करने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्ता पर दूध/दुग्ध पदार्थ/क्रेट के पेटे सुरक्षा राशि प्राप्त कर दूध सप्लाई शुरू की जावेगी।

(vii) बूथ किराया/लीज मनी स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्येक तीन माह में बूथ धारक से सीधा लिया जावेगा जब तक यह नीति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होती हैं वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी।

(viii) सम्बन्धित आवंटी को 5,000/- रू. की बैंक गारन्टी दो वर्ष के लिये सुरक्षा राशि के रूप में सम्बन्धित निकाय में जमा करानी होगी।

6/7/16

5. डेयरी बूथो पर बिक्री किये जा सकने वाली वस्तुओं का निर्धारण :—

सरस दूध व दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थो को बेचने का निर्णय स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा तथा इनका उल्लेख आवंटन पत्र मे भी किया जायेगा।

6. बूथ एजेन्ट द्वारा दुग्ध एवॅं दुग्ध पदार्थो के विक्रय से संबंधित दुग्ध संघ के नियम व शर्ते पालनार्थ :—

1. खुदरा विक्रेता की नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन माह के लिए की जाएगी। यदि दुग्ध संघ चाहे तो अवधि बढाई भी जा सकती है। दुग्ध संघ की शर्तो की पालना नही करने पर 7 दिवस का नोटिस दिया जाकर आवण्टन निरस्त किया जा सकता है।
2. खुदरा विक्रेता को संघ द्वारा निर्धारित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ, क्रेटे के पेटे राशि जमा करवानी होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। एजेन्सी आवंटन के बाद भी दुग्ध एवॅं दुग्ध पदार्थो के एवज में राशि में वृद्धि की जा सकती है। एजेन्सी धारक को तद्नुसार राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. खुदरा विक्रेता को दुग्ध एंव दुग्ध उत्पाद, वितरक से नकद भुगतान (रिटेलर कमीशन कम करके) प्राप्त करने होंगें। दुग्ध/दुग्ध उत्पाद बिक्री राशि बकाया रखने पर सप्लाई तुरन्त प्रभाव से बन्द की जा सकती है एवं एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि समायोजित/जप्त की जा सकती है।
4. एजेन्ट को न्यूनतम 100 लीटर दूध प्रतिदिन बेचना अनिवार्य है। अगर एजेन्सी आवंटन के एक माह में भी 100 लीटर दूध विक्रय नहीं किया जाता है तो बिना सूचना के एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।
5. खुदरा विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार दूध एवं दूध उत्पाद सप्लाई किये जाते हैं। साधारणतया बचा हुआ दूध/दूध उत्पाद वापस स्वीकार नहीं किये जावेगें। यदि किसी कारणवश ग्राहक की कोई समस्या आती है या उत्पाद में कोई कमी प्रतीत होती है तो उसका निराकरण बूथ धारक अपने स्तर पर डेयरी से करवायेंगे। ग्राहक की सन्तुष्टि सर्वोपरि है।
6. बिक्री राशि एवं दूध/दुग्ध उत्पादों के साथ सप्लाई की गयीं क्रेटें खुदरा विक्रेता को निर्धारित प्रक्रियानुसार पूरी मात्रा में वापस जमा करानी होंगी। इसकी पालना नहीं किये जाने पर एजेन्ट की सप्लाई बन्द की जा सकती है तथा लगातार ऐसा करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।
7. खुदरा विक्रेता को ग्राहकों/वितरकों एवं संघ प्रतिनिधियों से शालीन व्यवहार करना होगा। अभद्र व्यवहार करने, लड़ाई झगड़ा करने एवं तथ्यहीन निराधार शिकायतें करने तथा ऐसा प्रमाणित होने पर सम्बन्धित एजेन्ट के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। जिसके अन्तर्गत एजेन्टशिप निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
8. खुदरा विक्रेता को संघ द्वारा निर्धारित समयानुसार बूथ/एजेन्सी पर दूध/दुग्ध उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

6/7/16

9. खुदरा विक्रेता को एजेन्सी के स्थान से ही दुध/दुग्ध उत्पाद बिक्री करने होंगे। अन्य स्थान/अन्य एजेन्सी के पास बिक्री करने पर एजेन्सी समाप्त की जा सकती है। एजेन्सी/बूथ आवंटन अहस्तान्तरणीय है। इस हेतु खुदरा विक्रेता को फूड लाईसेन्स लेना अनिवार्य है।
10. वितरण सम्बन्धी आदेश जो भी समय-समय पर दिये जायेगे वे मान्य होगें तथा खुदरा विक्रेता उनकी पूर्ण रूप से पालना करेगें।
11. बूथ/शॉप एजेन्सी जिसके नाम से आवंटन की जाएगी उसका संचालन उसे स्वयं ही करना होगा, किसी और के द्वारा संचालन करवाने या एजेन्सी/बूथ सबलेट करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है। खुदरा विक्रेता का स्वयं का परिचय-पत्र/ऐड्रेस प्रूफ देना होगा।
12. खुदरा विक्रेता/बूथ एजेन्ट द्वारा सरस के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध/दुग्ध उत्पाद बिक्री किया जाना एवं इनके साथ किसी भी तरह का व्यवसायिक सम्बन्ध रखने पर एजेन्सी तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाकर सुरक्षा राशि जप्त करली जावेगी।
13. खुदरा विक्रेता आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज/सूचना गलत पाये जाने पर एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जप्त की जा सकती है।
14. स्वीकृति मिलने के तीन माह में यदि बूथ शुरू नहीं किया जाता है तो स्थानीय निकाय द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
15. प्रतिबन्धित पदार्थ एवं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण/प्रदर्शन एवं बिक्री नहीं की जायेगी। बिक्री किये जाने पर बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
16. आवासीय क्षेत्रों में शॉप एजेन्सी चाहने वाले आवेदक को शॉप एण्ड वाणिज्यक एक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
17. यदि एजेन्सी धारक द्वारा दुग्ध बिक्री मात्रा में वृद्धि सुरक्षा राशि के अनुपात में अधिक होती है तो संघ प्रशासन द्वारा सुरक्षा राशि में दुग्ध बिक्री के अनुपात में वृद्धि करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
18. स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार बूथ धारकों को समयानुसार ही निर्धारित किराया राशि जमा करवानी होगी।
19. डेयरी बूथ धारक के द्वारा आंवटित बूथ स्थान के अलावा किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जावेगा एवं साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी व बूथ पर एक डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा।

7. **दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिक्री पर दुग्ध संघ द्वारा देय कमीशन** :- दुग्ध संघो द्वारा समय-समय पर निर्धारित कमीशन देय होगा। डेयरी बूथ पर समय-समय पर पेन्ट, ग्लोसाईन बोर्ड इत्यादि का कार्य सम्बन्धित दुग्ध संघो द्वारा कराया जावेगा।

6/7/11

8. **किराया/लीज मनी** :– किराया/लीज मनी कमेटी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता हैं।

स्थानीय निकाय	किराया प्रतिमाह
1. नगर निगम	1000/–
2. नगर परिषद	750/–
3. नगर पालिका	500/–

प्रत्येक तीन वर्ष में किराया में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित हैं। जब तक यह नीति लागू नहीं होती हैं तब तक वर्तमान प्रचलित दरें ही लागू रहेंगी।

9. **किराया/लीज मनी का संग्रहण** :–

(i) (i) सम्बन्धित निकाय द्वारा संग्रहण किया जावेगा। आवंटी को त्रैमासिक किराया स्थानीय निकाय में जमा कराना होगा।

(ii) किराया लीज राशि का भुगतान नहीं करने पर स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जावेगी। बूथ आवंटन निरस्त भी किया जा सकेगा।

(ii) **बूथ का हस्तान्तरण** :– साधारणतः बूथ अहस्तान्तरणीय है लेकिन बूथ संचालक की मृत्यु होने पर ही कानूनी रूप से वारिस के नाम बूथ के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जावेगा।

(iii) **बूथ का निरस्तीकरण** :– बूथ एजेन्ट द्वारा निर्धारित नियम शर्तो की अनुपालना नहीं करने पर बूथ का आवंटन संबंधित दुग्ध संघ की अनुशंषा पर स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकता हैं।

(iv) **बूथ आवंटन सम्बन्धित निर्णयों पर पुनःविचार** :–

क– भविष्य मे यदि अपरिहार्य कारणों से लोकहित मे यदि बूथ हटाना/स्थानांतरण करना अपेक्षित हो तो यथेष्ठ कार्यवाही स्थानीय निकाय के स्तर पर ही की जायेगी। ऐसी स्थिति में बूथ संचालक का पुनर्वास स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ही किया जावेगा।

ख– यदि बूथ एजेण्ट को भविष्य में यदि दुग्ध व्यवसाय से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा निराकरण किया जायेगा।

(v) अनुपालना :–

स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व की भाँति ही दूध बूथों का आवंटन केवल आरसीडीएफ से सम्बद्ध दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थो के विपणन के उद्देश्य से ही किया जावेगा। चूँकि सहकारिता आंदोलन से जुडे पशुपालकों को उनके द्वारा उत्पादित दूध का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध करवाए जा सके।

8/6/11

10. आवंटन से संबंधित विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण स्थानीय निकाय द्वारा गठित लाइसेन्स कमेटी द्वारा ही किया जावेगा।

11. नया किराया/लीज मनी पूर्व में आवंटित डेयरी बूथों एवं भविष्य में आवंटित डेयरी बूथों पर समान दर से लागू होगें लेकिन नये नियम/नीति केवल नये आवंटित डेयरी बूथों पर ही प्रभावी होगें।

6/7/16